पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय महाप्रबन्धक/कार्मिक
गोरखपुर
दिनांक 17.06.2020

सं. का/254/10–4स0स्वा0अधि0/2020/ग्रुप–बी (I)

1. प्रमुचिनि/वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/गोरखपुर।
2. चिकित्सा निदेशक/लनामिरेचि/गोरखपुर।
3. मंरेप्र/वमंकाधि/मुचिधी/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
4. सहायक स्वास्थ्य अधिकारी/गोरखपुर।
5. महाप्रबन्धक/प्रमुकाधि/मुचिधी/उपमुकाधि/मुख्या0/डीएलडब्लू/वाराणसी।
6. अपर मुचिनि/उपमुचिनि/गोरखपुर एवं वकाधि/मुख्या0/गोरखपुर।

विषयः– सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रुप–बी, 100प्रतिशत चयन के सम्बन्ध में।

.....

चिकित्सा विभाग में 100प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (ग्रुप–बी) के 01 (एक) सामान्य जाति के पदो हेतु लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर चयन कराने का निर्णय लिया गया है।

नियमानुसार चिकित्सा विभाग के 05+03 (पिछले दो चयन में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर) 08 (आठ) वरिष्ठ अभ्यर्थियो की वरीयतानुसार सूची–क के रूप में संलग्न है। रेल परिषद के पत्र संख्या ई (जीपी)1/1/13 दिनांक 19.04.81 एवं पत्र संख्या ई (जीपी) 85/1/78 दिनांक 10.09.86 के अनुसार परीक्षा हेतु तैयार रहने के लिए कुल 05 (पॉच) स्टैण्डबाई कर्मचारियों की सूची–ख के रूप में संलग्न है। पात्रता निर्धारण हेतु कट आफ डेट 01.01.2020 है।

नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि अनुलग्नक–क एवं अनुलग्नक–ख में उल्लिखित उम्मीदवारों को उपर्युक्त चयन की सूचना से अवगत करा दें एवं यह भी निर्देश दे दें कि इस सम्बन्ध में दोनो सूचियों के अभ्यर्थी अनुलग्नक–ग में दिये गये प्रपत्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपनी इच्छा/अनिच्छा लिखित रूप से हस्ताक्षरित करके दिनांक 03.07.2020 तक नियंत्रक अधिकारी को अवश्य दे देंवे तथा नियंत्रक अधिकारी अभ्यर्थियों की परीक्षा में बैठने की इच्छा/अनिच्छा अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 10.07.2020 तक अवश्य अग्रसारित कर दें।

सूची–क में उल्लिखित अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी के चयन हेतु अनिच्छा व्यक्त करने की दशा में सूची–ख में वरीयतानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों को उतनी ही संख्या में अल्प समय पर चयन हेतु बुलाया जायेगा। अतएवं सूची–ख के उम्मीदवार भी इस चयन हेतु इच्छा/अनिच्छा नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से निर्धारित तिथि तक अवश्य प्रस्तुत कर दें।

सूची–क एवं ख में उल्लिखित अभ्यर्थी यदि अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति पर हो तो नियत्रक अधिकारी, कृपया यह सूचना उन्हें पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पते पर भेजवा दें तथा इस कार्यालय को भी सूचित करें। उपर्युक्त परीक्षा के संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक अपनी इच्छा/अनिच्छा भेजवाने के लिए निर्देश भी दोहरा दें।

सामान्य रूप से अनुपस्थिति लिखित परीक्षा कराने का कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने पर एवं नियॅत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदन पर अभ्यर्थी को अनुपस्थिति लिखित परीक्षा में बुलाया जा सकता है। पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने का तात्पर्य यह है कि अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल रेलवे चिकित्सा अधिकारी का विशिष्ट प्रमाण पत्र एवं नियॅत्रक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि उन्हें प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि पर कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है, मान्य होगा । अनुपस्थित लिखित परीक्षा में बैठने की सूचना लिखित परीक्षा के 07 दिन के अन्दर नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उपमुकाधि/राज0 के कार्यालय में भेजने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

क्रमशः———2/–

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या हिन्दी/1/ओएल/14/12 दिनांक 14.01.2002 एवं पत्र संख्या हिन्दी–94/रा.भा–1/10/8 दिनांक 25.01.96 एवं 14.06.96 के अनुसार व्यावसायिक योग्यता के लिए निर्धारित अंको का 10प्रतिशत अंक के बराबर प्रश्न राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित विषयों पर आधारित होगें। परन्तु ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होगें। यदि व्यावसायिक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा तो राजभाषा नियम से संबंधित प्रश्न 10 अंको का होना चाहिए। उपर्युक्त चयन हेतु लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना अल्प अवधि में किसी भी समय दी जा सकती है।

उपरोक्त चयन रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जीपी) 2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 मे निहित निर्देशानुसार सम्पन्न कराया जायेगा। तदनुसार लिखित परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पीय प्रश्न होगे। गलत जबाबों के नकारात्मक अंक होगें । प्रत्येक गलत जबाब के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आबंटित अंकों में से एक तिहाई काटा जायेगा ।

रेलव बोर्ड के पत्र सं. ई/(जीपी) 2010/2/39 एवं आरबीई सं0 142/2019 दिनांक 28.08.2019 के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों के विरूद्व चयन पूर्व अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण नहीं कराया जाना है। इस प्रकार अजा/अजजा अभ्यर्थियों को बिना प्रशिक्षण दिलाये चयन हेतु लिखित परीक्षा कराया जायेगा।

इस सूचना की एक प्रति सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाये। इस अधिसूचना के साथ वरीयता सूची–क एवं ख अनुलग्नक–ग (प्रोफार्मा) संलग्न है।

कृपया इसे सभी अभ्यर्थियों के नोटिस में अवश्य ला दिया जाय।

संलग्नक/अभ्यर्थियों की सूची–क एवं ख
अनुलग्नक–ग (प्रोफार्मा)
पाठ्यक्रम ।

17/6/2020
(गुरजीत कौर)
उपमुकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अमुचिधि/गोरखपुर–कृपया अपने स्तर से सभी मंडलों, यूनिटों एवं रेलवे बोर्ड को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें ।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सूची–क

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, (ग्रुप–बी), 100प्रतिशत चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	पदनाम	कार्यस्थल	टिप्पणी
1	राम प्रकाश शर्मा	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	वाराणसी	
2	संतोष कुमार कमल (अजा)	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	इज्जतनगर	
3	संजीव कुमार श्रीवास्तव	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	लनामिरेचि/ गोरखपुर।	
4	आर0एन0प्रसाद (अजा)	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	बदशाहनगर लखनऊ।	
5	दिलीप कुमार मल्ल	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	लनामिरेचि/ गोरखपुर।	
6	आशीष कुमार त्रिवेदी	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	डीएलडब्लू/वाराणसी।	
7	प्रेम चन्द्र (अजा)	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	इज्जतनगर	
8	राकेश कुमार	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	लखनऊ।	
कुल–08 (आठ) नाम मात्र				

सूची–ख

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, (ग्रुप–बी), 100प्रतिशत चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्टैण्डबाई अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	पदनाम	कार्यस्थल	टिप्पणी
1	आर के पाण्डेय	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	इज्जतनगर	
2	संजय सिंह चौहान	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	इज्जतनगर	
3	काजी शफाकत हुसैन	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	लखनऊ।	
4	संजीव कुमार सिंह	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	वाराणसी।	
5	सुनील कुमार सोनी	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	वाराणसी।	
कुल–05 (पॉच) नाम मात्र				

अनुलग्नक–ग

सेवा में,
महाप्रबन्धक / कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

विषयः– सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, (ग्रुप–बी), 100प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध चयन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– सं. का / 254 / 10–4स0स्वा0अधि0 / 2020 / ग्रुप–बी (I) दिनांक .06.2020

.....

महोदय,

मै.....पुत्र.....पदनाम.....

पी एफ नं0.....स्टेशन.....नियुक्ति स्थान .....

आपके उपरोक्त अधिसूचना की पावती स्वीकार करता हूँ–

1. मै उपरोक्त चयन में भाग लेने हेतु इच्छुक हूँ / इच्छुक नहीं हूँ।(स्पष्ट लिखित रूप से दें)
2. क– मै विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पति / पत्नी है।
   ख– मै अविवाहित / विधुर हूँ।
   ग– मैने अपने पति / पत्नी के रहते हुए अन्य विवाह किया है। छूट के लिए आवेदन पत्र संलग्न है।
   घ– मेरी शैक्षिक / तकनीकि योग्यता .....है।
3. वर्तमान पद / ग्रेड पे में नियमित नियुक्ति तिथि .....

मै शपथ लेकर कहता हूँ कि उँपरोक्त घोषणा पूर्णतः सत्य है। मै यह जानता हूँ कि उपरोक्त घोषणा असत्य सिद्ध होने पर मेरी पदोन्नति के पश्चात ग्रुप–बी सेवा से पदावनत कर दिया जाउगा।

भवदीय,

दिनांक

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)
सूची के कम संख्या–
मोबाईल नं0

अग्रसारित द्वारा
नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदनाम

Syllabus for Assistant Health Officer

(2)

Technical

1. **Water-** Sources, Water pollution, Purification, Ultra-violet irradiation, Ozonisation, Reverse osmosis, Chlorination, Breakpoint chlorination, Residual chlorine, Chlorinator, Chlorine demand, Disinfection of well, Distributing system, Sampling of water for chemical and bacteriological analysis, Standards of water quality, Monitoring of quality of water, Water borne diseases and their Prevention and control, Swimming Pool sanitation, Role of Health Inspectors in safe water supply.

2. **Waste Management-** Collection and disposal of refuse, Hospital Waste Management.

3. **Exreta disposal-** Excreta disposal in sewered and unsewered areas, Septic Tank, acqua privy, Water carriage system, House drains, inspection chambers, Sewers, Manholes, Precaution for entering manhole, Sewage disposal, Maintenance of public toilets.

4. **Environmental Sanitation-** Mechanisation in sanitation.

5. **Food, Nutrition and Adulteration of Food-** Deficiency disease, Balanced diet, Measures for control food borne diseases, Monitoriing of quality of food, Prevention of food Adulteration Act, Powers of Food Inspector, method of sampling and follow up, Hygience of eating places, Education of food handlers, Licensing.

6. **Health statistics-** Census, Health Surveys, health & fertility indices, Collection and analysis of data, pictorial & graphic representation of data, record keeping, reporting.

7. **National Health Programmes-** Tuberculosis, Malaria, AIDS, Diarrhoeal diseases

8. **Pest Control-** Identification of mosquitoe breeding sites, anti-mosquitoe measures including Bio-environmental engineering methods, antify measures, rodent and stray dog control.

9. **Epidemiology-** Control of epidemics, Notification- Notifiable diseases, Quarantine, Disinfection.

10. **Prevention and control of common communicable and non-communicable diseases.**

11. **Industrial Hygiene-** Industrial hygiene, Industrial Hazards, Protection against accidents, Protection against occupational diseases.

12. **First Aid to the injured.**

13. **Reproductive and Child Health-** Family Welfare Programme, Contraceptive methods, immunisation schedule, Vaccines and its use in various diseases, Pulse Polio immunisation, Cold chain.

14. **Health Education- Principles & methods, motivation, counselling.**

15. **Medicdal arrangements in Fairs & Festivals.**

16. **School Health Service.**

17. **Disease Surveillance.**

18. **General-** Organisation of special camps line Multipurpose health drives, seeking community participation, Field Action Groups, Health Promotion Councils, Coordination with other Departments as well as other Govt. and non-government agencies.

19. **Inspection and record maintenance.**

20. **Contracts and tenders.**

21. **Procurement of stores, inventory control, maintenance and condemnation of equipments.**

Non-Professional

Establishment and Financial Rules.